उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–716/XXX–(2)/2004–55 (42)/2004
दिनांक: 14 जून, 2004

अधिसूचना
प्रकीण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल, राज्य में अधीनस्थ सरकारी कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004

भाग– एक

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1) यह नियमावली अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. रोवा नियमावली का लागू होना– (1) इस नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिकों के पदों से भिन्न निम्नवत् श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों पर भर्ती (जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो और जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर हो) नियंत्रित होगी, किन्तु इसके द्वारा उत्तरांचल सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण से बाहर और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों,

महाधिवक्ता, उत्तरांचल के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान के पद नियंत्रित नहीं होंगे।

(2) ऐसे लिपिक वर्गीय पदों पर जिन पर यह नियमावली लागू होती है, सभी रिक्तियों के प्रति भर्ती इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

3. अन्य नियमों से असंगतता का प्रभाव– इस नियमावली और किसी विशिष्ट सेवा नियमावली के बीच कोई असंगति होने की दशा में–

(एक) इस नियमावली के उपबन्ध असंगति की सीमा तक अभिभावी होंगे यदि विशिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों, और

(दो) विशिष्ट नियमों के उपबन्ध उस दशा में अभिभावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात बनाये जायें।

4. परिभाषायें– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी अधीनस्थ कार्यालय में किसी लिपिक वर्गीय पद के सम्बन्ध में, उस प्राधिकारी से है जो उस पद पर सुसंगत नियमों या आदेशों के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त हो,

(ख) "संविधान" का तात्पर्य "भारत के संविधान" से है,

(ग) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है,

(घ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तराचंल सरकार से है,

(ङ) 'उच्च न्यायालय' का तात्पर्य उच्च न्यायालय, नैनीताल से है,

(च) 'कार्यालय अंध्यक्ष' का तात्पर्य किसी कार्यालय के सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी से है,

(छ) 'लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग' का तात्पर्य अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे लिपिक कर्मचारियों से होगा जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त करना अपेक्षित हो,

(ज) "अधीनस्थ कार्यालय" का तात्पर्य सरकार के नियत्रणं में सभी कार्यालयों से है, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तराचंल सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय,उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तरांचल के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान नहीं हैं,

(झ) "छंटनी किया गया कर्मचारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है–

(एक) जो राज्यपाल को नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये जिसमें से कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए, नियोजित था,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अभिमुक्त किया गया हो या किया जा सकता हो, और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया गया हो,

किन्तु, इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है।

(ट) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

5. सेवा की सदस्य संख्या– किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये–

परन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद या पदों के किसी वर्ग को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा–

परन्तु, यह और कि सरकार का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से समय–समय पर किसी विभाग/कार्यालय में ऐसे स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकता है जिन्हें आवश्यक समझा जाये।

भाग –दो
भर्ती

6. भर्ती का स्रोत – किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में भर्ती नियम 9 में यथा उपबन्धित शैक्षिक और अन्य उपलब्धियों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी, परन्तु, किसी विशिष्ट अधीनस्थ कार्यालय मे 25 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय–समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार, उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 15 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हो, पदोन्नति द्वारा भरी जा सकती है।

भाग– तीन

अर्हताएं

7. आरक्षण– अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

टिप्पणी– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पद पर केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जा सकती है। सामान्य अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।

8. राष्ट्रीयता– इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का, ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश–केन्या, उगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो–

परन्तु, उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो–

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले–

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से ही इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

9. शैक्षिक अर्हताएं— सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तरांचल की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

10. अधिमानी अर्हता— अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

(तीन) स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।

11. आयु— सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

12. भूतपूर्व सैनिकों और कुछ अन्य श्रेणियों के लिये छूट—भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितों, उत्तरांचल सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों, खिलाड़ियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताओं में या भर्ती की किन्हीं प्रकियात्मक अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित्त प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियमों और आदेशों के अनुसार होगी।

13. चरित्र— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

14. वैवाहिक प्रास्थिति – सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो।

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

15. शारीरिक स्वस्थता– किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूलनियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

भाग– चार

भर्ती की प्रकिया

16. एक जिले में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में भर्ती एक ही साथ होगी–एक जिले में, समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती समूह "ग" के पदों पर भर्ती की प्रकिया नियमावली में दी गयी प्रकिया के अनुसार एक ही साथ की जायेगी।

17. चयन समिति का गठन– किसी पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी,

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो

तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय और पिछड़े वर्ग से भिन्न कोई एक अधिकारी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अधिकारी अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो तो ऐसे उपयुक्त अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने में असफल रहे तो ऐसे अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

18. भर्ती प्रति वर्ष की जायेगी– इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन प्रतिवर्ष या जब कभी आवश्यक हो किया जायेगा।

19. चयन का आधार– चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्यतः अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा। तदनुसार सेवायोजन अधिकारी अभ्यर्थियों के नाम भेजते समय, अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों विशेष रूप से, नियम 9 में निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा में उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखेगा।

20. सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों की सूचना भेजना– नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–7 के अधीन आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियो से भी जिन्होने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर कराया हो आवेदन–पत्र सीधे आमंत्रित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिये नियुक्ति प्राधिकारी सूचना पट्ट पर एक नोटिस चिपकाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय दैनिक समाचार–पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करायेगा। ऐसे समस्त आवेदन–पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

21. चयन प्रक्रिया– विभागीय चयन समिति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह "ग" के पदों के लिये चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2003 में विहित की गयी हो।

22. फीस– चयन के लिये अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो राज्यपाल द्वारा समय–समय पर विहित की जाये। फीस की वापसी के लिये कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

भाग पांच

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

23. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति– नियम 23 के उपनियम (6) और (7) में निर्दिष्ट चयन सूची चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चयन में प्राप्त कुल अंक उल्लिखित किये जायेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थियों के नाम अभ्यर्थियों की योग्यतानुसार एक सामान्य सूची में कमबद्व किये जायेंगे और नियुक्ति का प्रस्ताव उसी कम में किया जायेगा जिसमें उनके नाम सामान्य सूची में कमबद्व किये गये हों। चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी।

24. परिवीक्षा– (1) जहां किसी विशिष्ट सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों से अन्यथा उपबन्धित हो, उसके सिवाय विभाग/कार्यालय में, किसी स्थायी रिक्ति में, किसी पद पर नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा,

परन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये,

परन्तु, यह और कि परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं जिससे इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को उस पद के लिये परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

25. स्थायीकरण– किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा–अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी

कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण अच्छा पाया जाये, उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

26. ज्येष्ठता– (1) एतद्पश्चात यथाउपबन्धित के सिवाय इस नियमावली के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी।

परन्तु, यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो,

परन्तु, सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग छः
वेतन इत्यादि

27. वेतनमान– (1) विभाग/कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हों, या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुगम्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान 3050–75–3950–80–4590 रू0 है।

28. परिवीक्षा अवधि में वेतन– (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की

सन्तोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन–वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो,

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु, यदि सन्तोष न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग सात
अन्य उपबन्ध

29. पक्ष समर्थन– पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से, अपनी अभ्यर्थता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

30. अन्य विषयों का विनियमन–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

31. सेवा की शर्तों में शिथिलता–जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलों में

न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

32. व्यावृत्ति– इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित ज़न–जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Uttaranchal Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.716/XXX(2)/2004-55(42)/04 dated 14 Jun, 2004.

Government of Uttaranchal
Karmic Anubhag-2
No 716 /XXX(2)/2004-55(42)/04
Dehradun dated 14 Jun, 2004.

THE SUBORDINATE OFFICES MINISTERIAL STAFF (DIRECT RECRUTIMENT) RULES, 2004

Notification

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment of ministerial staff in the Subordinate Government Offices in the State:

PART I
GENERAL

1- **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Uttaranchal Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 2004

(2) These rules shall be deemed to have come into force at once.

2- **Application of these rules.**(1) These rules shall govern recruitment to all the ministerial posts of the lowest grade, other than the posts of Stenographer (which are required to be filled by direct recruitment and which are outside the purview of the Pubic Service Commission), in all subordinate offices under the control of the Government excluding the Uttaranchal Secretariat, of the offices of the State Legislature, Lok Ayukt, Public Service Commission, High Court, the Subordinate Courts under the control and superintendence of the High Court, the Advocate-General, Uttaranchal, and of the establishments under the control of the Advocate- General.

(2) Recruitment against all the vacancies of ministerial posts to which these rules apply shall be made in accordance with the provisions of these rules.

3. **Effect of inconsistency with other rules** In the event of any inconsistency between these rules and any specific service rules-

(i) the provisions contained in these rules shall prevail to the extent of the inconsistency in case the specific rules were made prior to the commencement of these rules; and

(ii) the provisions contained in the specific rules shall prevail in case they are made after the commencement of these rules.

4. **Definitioins**- In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Appointing Authority" means to a ministerial post in a subordinate office refers to the authority empowered under the relevant rules of orders to make appointments on that post;

(b) "Constitution" means the Constitution of India;

(c) "Governor" means the Governor of Uttaranchal.

(d) "Government" means the Government of Uttaranchal

(e) "Head of office" means the highest Gazetted Officer of an office;

(f) "High Court" means the High Court of Judicature at Nainital;

(g) "Ministerial staff" shall refer to the clerical staff of the subordinate offices which is required to be appointed by direct recruitment;

(h) "Subordinate Offices" means all the offices under the control of the Government excluding Uttaranchal and of the establishment under the control of the Advocate- General;

(i) "Retrenched employee" means a person-

i. who was employed on a post under the rule making power of the Governor, in permanent, temporary or officiating capacity for a total minimum period of one year, out of which at least three months' service must have been continuous service;

ii. whose services were or may be dispensed with due to reduction in or winding up of the establishment; and

iii. in respect of whom a certificate of being retrenched employee has been issued by the Appointing Authority;

but does not include a person employed on ad hoc basis only.

(j) "Year of recruitment" means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

5. **Strength of Service.**- The strength of ministerial staff in a particular Department/ Office and of each category of posts herein shall be such as may be determined by Government from time to time:

Provided that the Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any post or class of posts without thereby entitling any person to compensation:

Provided further that the Government in the Administrative Department may, in consultation with the Personnel Department and Finance Department, create such permanent or temporary posts in any Department/ office from time to time as may be found necessary.

PART II
RECRUITMENT

6- **Source of Recruitment-** Recruitment to the lowest grade of the ministerial staff in a subordinate office shall be made by direct recruitment through the Selection Committee referred in Rule 17 on the basis of academic and other attainments as provided in Rule 9:

Provided that up to 25 percent of the vacancies in a particular subordinate office may be filled by the Appointing Authority by promotion amongst 15 percent from amongst High School pass and 10 percent from Intermediate pass Group D employees of that office in accordance with the orders of Government issued from time to time.

PART III
QUALIFICATIONS

7- **Reservation** – Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Note- The Scheduled cast and Scheduled tribes candidates can only be appointed on the post reserved for Scheduled cast / Scheduled tribes. The general candidates are not eligible for that.

8- **Nationality-** A candidate for direct recruitment under the provisions of these rules must be-

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganykika and Zanizibar) with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligences Branch, Uttaranchal.

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

9- **Academic Qualifications-** A candidate for direct recruitment must have passed the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttaranchal, or an examination declared by the Governor as equivalent thereto.

10- **Preferential qualifications-** A candidate who has –

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) obtained a 'B' Certificate of National Cadet Crops, shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

(iii) obtained bachelor degree /post graduate.

11- **Age-** A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the year of recruitment:

Provided that the upper age limit shall, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories, as may be notified by the Government from time to time, be greater by such number of years as may be specified.

12- **Relaxation for ex-servicemen and certain other categories.-** Relaxation if any, in maximum age- limit, educational qualifications or in any procedural requirements or recruitment in favour of ex-servicemen, disabled military personnel, dependents of military personnel dying in action, dependents of Uttaranchal Government servants dying in harness, Sportsmen, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes and other categories shall be in accordance with the general rules or order of the Government in this behalf in force at the time of recruitment.

13- **Character.-** The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.

Note- Person dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Person convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

14- **Marital status-** A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

15- **Physical fitness-** No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of

fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, part III.

PART IV
PROCEDURE FOR RECRUITMENT

16- **Recruitment in all the subordinate offices within a district to be common.-** There shall be common recruitment of the ministerial staff in all the subordinate offices within a district, to be made in accordance with the procedure laid down in these rules.

17- **Constitution of Selection Committee.-** For the purpose of recruitment to any post, there shall be constituted a Selection Committee as follows:

(1) Appointing Authority.

(2) An officer belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, nominated by the District Magistrate, if the Appointing Authority does not belong to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes. If the appointing authority belongs to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, an officer other than belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Minority Community and Backward Class to be nominated by the District Magistrate.

(3) Two officers nominated by the appointing authority, one of whom shall be an officer belonging to minority community and the other Backward Class. If such suitable officers are not available in his department or organization, such suitable officer shall, on the request of the appointing authority, be nominated by the District Magistrate and on his failure to do so, by reason of non-availability of suitable officers, such officers shall be nominated by the Divisional Commissioner.

18- **Recruitment to be made every year.** Selection for recruitment under these rules shall be made every year or whenever it is necessary.

19- **Basis of selection.-** Selection of candidates shall be made by the Selection Committee essentially on the basis of academic attainments of the candidates. Accordingly, in forwarding the names of the candidates the Employment Officer shall have regard to the academic attainment of the candidates particularly their attainment at the minimum qualifying examination referred to in Rule 9.

20- **Notification of vacancies to the Employment Exchange.-** The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the vacancies to be reserved under Rule 7. The vacancies shall be notified to the Employment Exchange. The appointing authority may also invite application directly from the persons who have their names registered in the Employment Exchange. For this purpose, the Appointing Authority shall issue an advertisement in a local daily newspaper besides pasting a notice for the same on the Notice Board. All such applications shall be placed before the Selection Committee.

21- **Procedure of Selection.** (1) Selection through Departmental Selection Committee shall be as provided in Uttaranchal Group C (out side the purview of Public Service Commission) Recruitment Rules, 2003.

22- **Fee-** Candidates for selection shall be required to pay to the Selection Committee such fee as may, from time to time, be prescribed by the Government. No claim for the refund of the fee shall be entertained.

PART V
APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

23- **Appointment by Appointing Authority .-** The select list referred to in sub-rules (6) and (7) of Rule 23 shall be forwarded by the Selection Committee to the Appointing Authority mentioning the aggregate marks obtained at the selection by each candidates. The name of general and reserve candidates shall be arranged by the Appointing Authority in a common list according to the merit of the candidates and the appointment shall be offered in the order in which the names are arranged in the list. The select list shall hold good for a period of one year from the date of selection.

24- **Probation-** (1) Except where otherwise provided in the rules applicable to any particular service or post person on appointment to a post in the Department/ Office in a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of one year:

Provided that the Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the period is extended:

Provided further that the period of probation shall not be extended beyond one year.

(2) The Appointing Authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post in the cadre to be taken into account for computing the period of probation for the post.

25- **Confirmation-** A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation, as the case may be, if his work and conduct have been found to be satisfactory, his integrity is certified and the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

26- **Seniority-** (1) Except as hereinafter provided, the seniority of persons appointed under these rules shall be determined from the date of the order of substantive appointment and if two or more persons are appointed together, by the order in which their names are arranged in the appointment order:

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date will be deemed to be the

date of order substantive appointment, and in other cases, it will mean the date of issue of the order.

(2) The seniority inter se of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the Selection Committee:

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reasons shall be final.

PART VI
PAY, ETC.

27- **Scale of pay (1)** The scale of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Department/ Office whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of commencement of these rules is Rs. 3050-75-3950- 80-4590.

28- **Pay during probation-** (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary , person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his increment in the time sale when he has completed one year of satisfactory service, and the second increment after he is confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

PART VII
OTHER PROVISIONS

29- **Canvassing-** No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempts on the part of a candidate to enlist support, directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

30- **Regulation of other matters.-** In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to posts in various Departments/ Offices shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servant serving in connection with the affairs of the State.

31- **Relaxation from the conditions of service-** Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to posts in various Departments/ Offices causes undue hardship in any particular case it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

32- **Saving-** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By Order,

(Nrip Singh Napalchyal)
Principal Secretary.